# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1893/2012/जयपुर
मैसर्स जयपुर उद्योग
जयपुर अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन–प्रथम,बांसवाडा प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री वी.के.पारीक एवं श्री श्याम कृष्ण पारीक
अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से
निर्णय दिनांकः 03.09.2015

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से उपायुक्त(अपील्स)तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 311/अपील्स–।।।/11–12/सी में पारित आदेश दिनांक 01.08.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि उपायुक्त(प्रशासन) वाणिज्यिक कर, उदयपुर के आदेश दिनांक 117 दिनांक 19.1.2012 की अनुपालना में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,द्वितीय, बांसवाडा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा बिछीवाडा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–8 जिला डूँगरपुर यपर वाहन संख्या आरजे–27जीए 1579 की चेकिंग की गई। वाहन में लदे माल पेपर प्रोडक्ट के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 9261083 प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच घोषणा पत्र वैट–47 के पार्ट–बी के कॉलम संख्या 1 से 3 में बिल नम्बर, दिनांक, माल की कीमत तथा कॉलम संख्या 5 में माल की मात्रा में सफेदा लगाकर उसमें अंकित विवरण में परिवर्तन किया गया है तथा पार्ट सी के कॉलम संख्या 2 से 3 तक में बिल्टी संख्या, दिनांक एवं वाहन संख्या का अंकन नही किया किया हुआ है, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (2) सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 (जिसे आगे वैट नियम कहा जायेगा) के नियम 53 का उल्लंघन है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर को अमान्य करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल की कीमत रू. 12,06,443/– पर 5 प्रतिशत की दर से वैट रू. 60,322/– एवं माल की कीमत पर अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रू. 3,61,933/–आरोपित कर आदेश दिनांक 25.01.2012 पारित किया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने आरोपित वैट रू. 60,322/–को अपास्त करते हुए आरोपित शास्ति रू. 3,61,933/–को यथावत रखकर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषकगण ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपण करने से पूर्व अपीलार्थी व्यहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है,इसलिए आरोपित शास्ति नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैधानिक क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर आदेश दिनांक 25.01.2012 पारितकिया गया है, जो अविधिक है। उन्होंने बहस के दौरान यह भी बताया कि शास्ति आदेश पारित करने से पूर्व ही शास्ति वसूल कर ली गई,ऐसी स्थिति में पारित आदेश अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर ध्यान दिये बिना ही आदेश. पारित कर शास्ति आरोपण की कार्यवाही की है,जो उचित नहीं है। उन्होने अपने कथन के समर्थन में टैक्स अपडेट वाल्यूम 37 पार्ट 7 पेज 283 उद्धृत करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वाहन में लदे माल से सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र वैट–47 के ज्यादातर कॉलम्स में अंकित विवरण को सफेद स्याही से मिटाकर दोबारा विवरण अंकित किया गया है,जिसके सम्बन्ध में नोटिस दिये जाने पर कोई सन्तोषजनक कारण नहीं बताया गया है,जिससे स्पष्ट होता है कि वक्त चेकिंग प्रस्तुत किया गया वैट–47 को पुनः काम में लिया गया है,जिससे करापवचंन प्रमाणित होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 3,61,933/–की गई है,जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह कथन किया गया है कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदार नही किया गया है,गलत है,क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया है,जिसकी पालना में जयपुर उद्योग की ओर से दिनांक 25.01.2012 को नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया है,जो शास्ति पत्रावली के पृष्ठ 13 पर उपलब्ध है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने भी इन्ही तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपित शास्ति को यथावत रखा गया है,जो उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार वाहन संख्या आर जे 27–जीए–1579 की चैकिंग करने पर वाहन में लदे माल पेपर प्रोडक्ट के समर्थन में

घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 9261063 प्रस्तुत किया गया है,जिसके पाटी–बी के कॉलम संख्या 1 से 3 में अंकित बिल नम्बर,माल की कीमत तथा कॉलम संख्या 5 में अंकित माल की मात्रा को सफेदा लगाकर पूर्व में अंकित विवरण को परिवर्तित किया गया है तथा पार्ट सी के कॉलम संख्या 2 एवं तीन में बिल्टी संख्या, दिनांक एवं वाहन संख्या का अंकन नहीं किया गया है, जिसको कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (2)सपठित नियम 53 का उल्लंघन मानते हुए परिवहनित माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रू. 3,61,933/– तथा कर रू. 60,322/– अधिनियम की धारा 76 (6)के अन्तर्गत आरोपित किया । उक्त आरोपित कर एवं शास्ति को अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर उन्होंने कर को अपास्त करते हुए शास्ति रू. 3,61,933/– को यथावत रखा है।

उक्त तथ्यों के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि वैट–47 संख्या 9261083 पेज 12 पर दो प्रतियों में उपलब्ध है। उक्त वैट–47 के अवलोकन से प्रथम दृष्टया उजागर होता है कि वैट–47 के पार्ट बी व सी में पूर्व में अंकित विवरण को सफेदा लगाकर दूसरा विवरण अंकित किया गया है,जिसके सम्बन्ध में बहस के दौरान कोई ठोस कारण अथवा दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये,जिससे यह प्रमाणित हो सके कि दोषी मनोभाव से उक्त विवरण सफेदा लगाकर नहीं परिवर्तित कियां गया है। प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि पूर्व में अंकित विवरण को सफदा लगाकर करापवंचन की दोषी मनोभाव से परिवर्तित किया गया है,जिसके सम्बन्ध में अपीलीय अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का विस्तृत विवेचन करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 3,61,933/– को यथावत रखा है,जिसमें यह पीठ हस्तक्षेप करने का औचित्य नहीं समझती है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.08.2012 को यथावत रखते हुए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

( सुनील शर्मा )
सदस्य